शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल समाचार
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक
प्रकाशन का 51 वां वर्ष
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailsamachar
वर्ष 51 अंक-20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 11-18 मई 2026 मूल्य पांच रूपये

जनादेश दोनों दलों को जनता की चेतावनी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों ने जीत के अपने-अपने दावे जनता के सामने रख दिये हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु इसे कांग्रेस सरकार

की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मुहर बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसे सुक्खू सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनाक्रोश कह रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सीटों का गणित सामने रखकर भाजपा की 'ऐतिहासिक विजय' का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों नेताओं के बयानों और आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता ने वोट किसे दिया है-सत्ता पक्ष को या विपक्ष को?

अगर इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया जाये तो तस्वीर किसी एक दल की स्पष्ट जीत की नहीं, बल्कि दोनों दलों के प्रति जनता की अधूरी संतुष्टि दिखाई देती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने-अपने तरीके से जनादेश की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जनता का वास्तविक संदेश इन दावों के बीच कहीं दबा हुआ नजर आता है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि 47 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत यह साबित करती है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों, किसानों, प्राकृतिक खेती, समर्थन मूल्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए इसे सरकार की जनहितकारी राजनीति की जीत बताया। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था कि सरकार ने 2022 के वादों को पूरा किया और जनता ने उस पर भरोसा दोहराया।

लेकिन कांग्रेस के इस दावे की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि पार्टी ने अधिकांश जगहों पर आधिकारिक उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए। कांग्रेस ने 'समर्थित उम्मीदवार' मॉडल अपनाया। इसका सीधा अर्थ यह था कि पार्टी स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी माहौल का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। अब जहां समर्थित उम्मीदवार जीत गए, वहां कांग्रेस उसे अपनी जीत बता रही है। यही सवाल भाजपा उठा रही है कि जिसने अपने प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं की, वह जीत का दावा आखिर किस आधार पर कर रही है?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसी मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के आधार पर बात कर रही है और जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा ने चुनाव लड़ा, उन्हें कांग्रेस समर्थित मानकर ही परिणामों का विश्लेषण किया गया। भाजपा ने नगर परिषदों की 229 सीटों में से 120 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस को 89 सीटें और अन्य को 20 सीटें मिलने की बात कही गई। भाजपा इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ 'जनमत संग्रह' बता रही है।

यहां भाजपा का दावा आंकड़ों के लिहाज से मजबूत दिखाई देता है क्योंकि सीटों का गणित प्रत्यक्ष राजनीतिक ताकत दिखाता है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा की बढ़त यह संकेत देती है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी मौजूद है। पिछले ढाई वर्षों में महंगाई, बिजली-पानी के बढ़े दाम, संस्थानों को बंद करने के फैसले, कर्मचारियों की नाराजगी, धीमी विकास गति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार लगातार विपक्ष

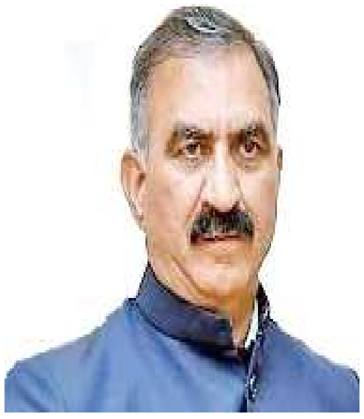

के निशाने पर रही है। भाजपा ने इन मुद्दों को 'झूठी गारंटी', 'कुशासन' और 'माफिया राज' जैसे नारों में बदलकर जनता के बीच आक्रामक अभियान चलाया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और अब उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने, चुनावों से भागने और राजनीतिक भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। भाजपा लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सुक्खू सरकार नैतिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कमजोर हो चुकी है।

लेकिन भाजपा के दावे की भी अपनी सीमाएं हैं। यदि प्रदेश में वास्तव में कांग्रेस सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी जनलहर होती, जितना भाजपा दावा कर रही है, तो परिणाम पूरी तरह एकतरफा होते। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतकर नहीं आते। इससे साफ है कि जनता भाजपा को भी बिना शर्त विकल्प मानने को तैयार नहीं है। भाजपा सीटों का गणित जीत गई, लेकिन राजनीतिक भरोसे की लड़ाई अब भी अधूरी है।

असल में इन चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हिमाचल की जनता इस समय 'पूर्ण जनादेश' की राजनीति से बाहर निकल चुकी है। जनता न कांग्रेस से पूरी तरह संतुष्ट है और न भाजपा पर पूरी तरह भरोसा कर रही है। यह परिणाम दोनों दलों के लिए चेतावनी है।

कांग्रेस के लिए चेतावनी इसलिए कि सत्ता में आने के बाद जिन गारंटियों और योजनाओं के दम पर सरकार ने राजनीतिक नैरेटिव बनाया, उनका असर जमीन पर उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री किसानों, महिलाओं और सामाजिक योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शहरी मतदाता रोजमर्रा की परेशानियों के आधार पर वोट कर रहा है। शहरों में महंगाई, ट्रैफिक, पानी, सफाई, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे। यही कारण है कि भाजपा को शहरी क्षेत्रों में बढ़त मिली।

भाजपा के लिए भी संदेश उतना ही स्पष्ट है। भाजपा सरकार विरोधी माहौल को वोटों में बदलने में सफल जरूर रही, लेकिन अभी तक वह जनता के सामने स्पष्ट वैकल्पिक विकास मॉडल नहीं रख पाई है। उसका पूरा चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस विरोध पर आधारित दिखा। जनता ने भाजपा को यह जरूर बताया कि वह सरकार से नाराज है, लेकिन यह भरोसा पूरी तरह नहीं दिया कि भाजपा ही अगली पसंद है।

इन चुनावों में स्थानीय समीकरणों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई जगह उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, जातीय समीकरण, स्थानीय गुटबाजी और निजी नेटवर्क पाटह लाइन से ज्यादा प्रभावी साबित हुए। यही कारण है कि कांग्रेस निकायों की संख्या गिनकर जीत बता रही है और भाजपा सीटों की संख्या गिनकर जनादेश का दावा कर रही है। दोनों अपने-अपने हिसाब से आंकड़ों की राजनीति कर रहे हैं।

भाजपा का यह आरोप भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार चुनावों को टालती रही और अदालतों के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव करवाने पड़े। यदि यह धारणा जनता में

बनी है कि सरकार चुनावों से बचना चाहती थी, तो इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को हुआ है। दूसरी ओर भाजपा द्वारा विजयी पार्षदों को डराने-धमकाने और चेयरमैन-वाइस चेयरमैन चुनावों के नियम बदलने के आरोप यह संकेत देते हैं कि असली लड़ाई अब निकायों में सत्ता गठन को लेकर शुरू होगी।

इन परिणामों को विधानसभा चुनावों का ट्रेलर मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इन चुनावों ने दोनों दलों की सीमाएं उजागर कर दी हैं। कांग्रेस सरकार को जनता ने संदेश दिया है कि केवल घोषणाएं काफी नहीं होंगी, जमीन पर असर दिखाना होगा। भाजपा को भी जनता ने यह समझा दिया है कि केवल आक्रामक बयानबाजी और सत्ता विरोधी राजनीति से पूर्ण जनादेश नहीं मिलता।

हिमाचल की जनता ने इस चुनाव में किसी को खुला समर्थन नहीं दिया है। उसने सत्ता पक्ष को झटका जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष को भी बिना शर्त भरोसा नहीं सौंपा। यही इन चुनावों का सबसे बड़ा और सबसे कठोर राजनीतिक संदेश है।

राज्यपाल से नाबार्ड प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से लोक भवन में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हिमाचल प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया तथा संस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की।

बैठक के दौरान नाबार्ड प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को प्रदेश में ग्रामीण अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, कृषि, वाटरशैड विकास, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन जैसे क्षेत्रों में संचालित विभिन्न नवाचारों और विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी दी।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास को गति देने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड जैसे संस्थान किसानों के सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने राज्य में प्राकृतिक खेती, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि पहाड़ी राज्य में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करना तथा आजीविका के अवसर बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी आधारित और अभिनव दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने समावेशी विकास में नाबार्ड के योगदान की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि संस्थान भविष्य में भी प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

राज्यपाल ने 'तंबाकू मुक्त हिमाचल' अभियान का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोक भवन में यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल (युवाह) द्वारा आयोजित 'तंबाकू मुक्त हिमाचल' अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं और आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करना है।

युवाह के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संगठन के मिशन 'यूथ फॉर राइज-नो टू ड्रग्स, यस टू पैशन' की जानकारी देते हुए बताया कि 'तंबाकू मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत राज्यभर में जागरूकता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। संगठन युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन को तंबाकू तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों, शैक्षणिक अभियानों और स्वयंसेवी पहलों के माध्यम से नई पीढ़ी को स्वस्थ, सकारात्मक और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों की भी जानकारी साझा की।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने संगठन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए युवाओं में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक सामाजिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने संगठन को भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया तथा अभियान की सफलता के लिए हरसंभव सहयोग और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा, सकारात्मक सोच और सामाजिक विकास गतिविधियों में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया।

इस अवसर पर संगठन के सह-संस्थापक कपिल देव, संगठन समन्वयक एवं परियोजना समन्वयक रीता, राज्य कार्यकारिणी सदस्य गौरव ठाकुर, अवंतिका पाम्टा, पूजा ठाकुर, सान्या और यश दीक्षित सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने वेद आगम संस्कृत महापाठशाला का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने बेंगलुरु स्थित वेद आगम सं त महापाठशाला श्री श्री गुरुकुलम के वैदिक हेरिटेज परिसर का दौरा किया। यह संस्थान वेद विज्ञान महाविद्या पीठ के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में संचालित किया जा रहा है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने गुरुकुल के विद्यार्थियों और विद्वानों से संवाद करते हुए भारत की प्राचीन वैदिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने श्री श्री रवि शंकर तथा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की इस पारंपरिक शिक्षण केंद्र की स्थापना और निरंतर संचालन के लिए प्रशंसा की।

राज्यपाल को बताया गया कि कर्नाटक सरकार से मान्यता प्राप्त यह महापाठशाला कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। यह संस्थान वैदिक ज्ञान, आगम शास्त्र और संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित है।

कविन्द्र गुप्ता ने गुरुकुल परिसर स्थित सोमनाथ मंदिर में भी पूजा-अर्चना कर भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लिया। उन्होंने परिसर के आध्यात्मिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि यह वैदिक शिक्षा के उद्देश्य को और अधिक सशक्त बनाता है।

राज्यपाल ने कहा कि वेद आगम संस्कृत महापाठशाला जैसे संस्थान भारत की सनातन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि नई पीढ़ी वैदिक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ रही है तथा ऐसे गुरुकुल देश की सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस दौरान महापाठशाला के वरिष्ठ शिक्षकों, विद्वानों और प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा उन्हें संस्थान के पाठ्यक्रमों की जानकारी दी, जिनमें वेद पाठन, आगम शास्त्र, संस्कृत और अन्य पारंपरिक विषय शामिल हैं।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकों से की अपील

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने प्रदेश के सभी पात्र मतदाताओं

से 17 मई को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपने मताधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करने की अपील की है।

प्रदेश में यूएलबी चुनावों के लिए प्रचार अभियान शुक्रवार को समाप्त हो गया। शनिवार को धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगमों सहित विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान होगा।

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने तथा शहरों और कस्बों में बेहतर नागरिक सुविधाएं और योजनाब) विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं से विशेष आहवान करते हुए कहा कि युवा वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पहली बार मतदान करना राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है।

राज्यपाल ने युवाओं से अपने शहरों और प्रदेश के भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण, अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से मतदान केंद्रों तक पहुंचने तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान सौहार्द, मर्यादा और निष्पक्ष चुनाव की भावना बनाए रखने की भी अपील की।

ईंधन संरक्षण में अग्रणी राज्य बने हिमाचल:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोक भवन से हिमाचल प्रदेश को ईंधन संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता संबंधी आहवान को समर्थन देने के लिए प्रदेश में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्यपाल ने लोक भवन को विशेष 'ईंधन संरक्षण क्षेत्र' घोषित करते हुए कहा कि यहां प्रत्येक रविवार को 'पेट्रोल-फ्री संडे' मनाया जाएगा। इसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा और सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फेंसिंग अथवा सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे। उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल वाहनों की संख्या तत्काल प्रभाव से आधी करने के निर्देश भी दिए।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि अनावश्यक यात्राओं को कम करने के लिए कई सरकारी बैठकों का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा तथा सरकारी कार्यक्रमों का समन्वय इस प्रकार किया जाएगा ताकि वाहनों की आवाजाही कम हो। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पश्चिम एशिया संकट समाप्त होने और वैश्विक ईंधन कीमतों में स्थिरता आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे।

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालय परिसरों में ऊर्जा और ईंधन संरक्षण को संस्थागत रूप से लागू करने का आहवान किया। उन्होंने शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को कार पूलिंग, साइकिलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित करने को कहा।

राज्यपाल ने युवाओं से ईंधन संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल संसाधनों की बचत नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से 'वोकल फॉर लोकल' की भावना अपनाते हुए स्थानीय उत्पादों और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की भी अपील की।

राष्ट्र निर्माण में सिविल सोसाइटी की भूमिका अहम : राज्यपाल

शिमला/शैल। जम्मू में आयोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 के क्लब लीडरशिप लर्निंग सेमिनार में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व का उद्देश्य केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोटरी जैसे संगठन सरकार और समाज के बीच मजबूत सेतु का कार्य करते हैं।

राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल के सिद्धांत 'सेवा स्वयं से ऊपर' को मानव सेवा की सच्ची भावना बताया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के साथ समाज और युवाओं की साझेदारी जरूरी है।

राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान किया। साथ ही ईंधन संरक्षण के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद रखने जैसी आदतें अपनाने की अपील भी की।

उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी देश की ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए रोटरी प्रतिनिधियों की भागीदारी को उन्होंने सेवा और सामाजिक समर्पण की सकारात्मक मिसाल बताया।

31 मई तक तैयार होगी हिमाचल की पोषण नीतिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को 31 मई 2026 तक राज्य की व्यापक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि 'फिट हिमाचल' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषणयुक्त भोजन के महत्व के प्रति व्यापक रूप से जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बन सकें। इससे मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां रखने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।

उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पायलट परियोजना के तौर पर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोलॉजी, बायो-केमिस्ट्री और फार्मेसी विभागों के मरीजों का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने

इसके लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। बाद में इस परियोजना को आईजीएमसी के सभी विभागों और राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों पर 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वचालित लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें दोगुनी करने के प्रयास कर रही है, क्योंकि ये चिकित्सक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बैठक में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एस.पी. कटियाल, सचिव आशीष सिंघमार, विशेष सचिव अश्वनी कुमार, जितेंद्र सांजटा और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने रेडी–एचपी परियोजना की समीक्षा की

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को 2687 करोड़ की रेडी–एचपी परियोजना पर जोर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 'रेज़िलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश (रेडी-एचपी)' परियोजना की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय

बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 2687 करोड़ रुपये लागत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में प्रभावी पहल साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच प्रदेश में बादल फटने की 86, भूस्खलन की 234 और बाढ़ की 121 घटनाएं दर्ज की गई, जिनसे 12,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संवेदनशील हिमालयी भू-वैज्ञानिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रभावित आधारभूत ढांचे, जैसे सड़कें, जलापूर्ति योजनाएं, बिजली और आजीविका परियोजनाओं की पुनर्स्थापना करना है। रेडी-एचपी परियोजना आपदा के बाद पुनर्वास के लिए एक सुदृढ़ और प्रभावी तंत्र विकसित करेगी तथा लोगों को शीघ्र राहत और बेहतर पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन पंचायत जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे तथा सामाजिक सुरक्षा और बीमा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए मजबूत सुविधाएं और ढांचा तैयार करने पर बल देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनकी फसल और आजीविका सुरक्षित रहनी चाहिए।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के. पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण को दिया जा रहा बढ़ावाः राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

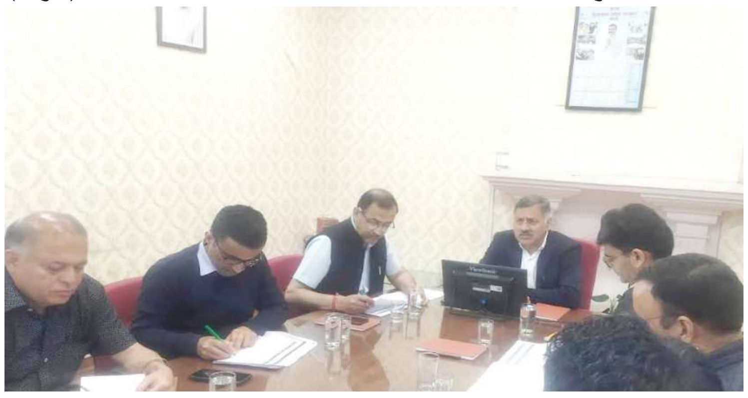

करते हुए उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ राज्य के लिए राजस्व के नए स्रोत सृजित करना भी है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास हिमाचल की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। इसी दिशा में हिम चंडीगढ़, हिम पंचकूला और कांगड़ा वैली एयरोसिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिम चंडीगढ़ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण आपसी सहमति अथवा लैंड पुलिंग मॉडल के तहत किया जा रहा है।

राजेश धर्माणी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिरसा नदी के तटीकरण के लिए विशेष विकास परियोजना तैयार की जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और बढ़ते शहरी दबाव को कम करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन शहरी केंद्रों को योजनाबद्ध और सतत विकास मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हिमुडा द्वारा 'हिमुडा स्टार्ट-अप एंड स्टूडेंट इनोवेशन पॉलिसी' के माध्यम से युवाओं के स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नीति के तहत प्रत्येक प्रस्ताव को पांच लाख रुपये तक की फंडिंग प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि हिमुडा के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ई-इनिशिएटिव मॉडल लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवंटन, ई-ड्राइंग और ई-ऑक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

बैठक में हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डॉ. सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

156 सीबीएसई स्कूलों में शुरू होंगे तीनों संकाय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश के 156 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। इसमें पता चला कि 156 स्कूलों में से 18 स्कूलों में अभी तक विज्ञान या वाणिज्य संकाय उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी विषयों का विकल्प मिलना चाहिए।

जिन स्कूलों में नए संकाय शुरू किए जाएंगे उनमें किहाड़, बाड़ा, बड़सर, बतरान, सोहारी, चढ़ियार, कुंसल, लोहारली, सलेटी, कोलनी ढलवान, अपर लंबागांव, निचार, सराहन (कुल्लू), बलदेयां, सैंज, ननखड़ी, कफोटा और बधेड़ा शामिल हैं। इन स्कूलों में अब विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी शुरू किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग ने इन संकायों को शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

राज्य सरकार पहले ही 156 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न के तहत चलाने की मंजूरी दे चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल, संगीत और कला जैसी गतिविधियों में भी बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में जरूरी शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अच्छा शैक्षणिक माहौल मिल सके।

नड्डी ज़िपलाइन प्रोजेक्ट के लिए विभागों को जल्द एनओसी जारी करने के निर्देश

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम (आरटीडीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नड्डी ज़िपलाइन परियोजना की प्रगति और विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

अधिकारियों ने बताया कि नड्डी ज़िपलाइन परियोजना का आवंटन 18 फरवरी 2026 को किया जा चुका है। परियोजना के तहत प्रस्तावित ज़िपलाइन स्टेशनों के लिए 5 मई को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संबंधित राजस्व अधिकारियों ने अभिलेखों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। बैठक में बताया गया कि परियोजना के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा गैर-वन भूमि उपलब्ध न होने संबंधी प्रमाण-पत्र के लिए मामला उपायुक्त कांगड़ा के समक्ष रखा गया है। सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव 'परिवेश पोर्टल' पर अपलोड किया जाएगा।

उप-मुख्य सचेतक ने संबंधित विभागों को आवश्यक एनओसी जल्द जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग को पेड़ों की गणना और अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने को कहा, ताकि परियोजना में देरी न हो।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नड्डी ज़िपलाइन परियोजना से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में मदद करेगी।

वेव्स डॉक बाज़ार 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू

शिमला/शैल। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले 'वेव्स डॉक बाज़ार 2026' के 'व्यूइंग रूम' सेक्शन में भागीदारी के लिए लघु फिल्म, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) और एनीमेशन परियोजनाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 'व्यूइंग रूम' देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों अथवा पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में चल रही परियोजनाओं को फिल्म फेस्टिवल में आने वाले प्रोग्रामर्स, वितरकों, अंतरराष्ट्रीय सेल्स एजेंट्स, निवेशकों और अन्य उद्योग खरीदारों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि यह मंच फिल्म निर्माताओं को फिल्म महोत्सवों, वितरण अवसरों, वैश्विक वितरण नेटवर्क और फिनिशिंग फंड्स के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से सीधे जुड़ने में भी मदद करेगा।

प्रवक्ता के अनुसार विभिन्न अवधियों की लघु, मध्यम अवधि तथा फीचर-लेंथ डॉक्यूमेंट्री और एनीमेशन फिल्में आवेदन के लिए पात्र होंगी। हालांकि, फिल्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा होना आवश्यक है। विकास (डेवलपमेंट) या प्री-प्रोडक्शन चरण में चल रही परियोजनाएं इस श्रेणी के लिए पात्र नहीं होंगी।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम प्रदर्शित या अब तक अप्रदर्शित परियोजनाओं को विशेष रूप से आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक एमआईएफएफ व्यूइंग रूम पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

थोड़ा सा अभ्यास ढेर सारे उपदेशों से अधिक मूल्यवान है। ......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

दो करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती

देश में शिक्षा को लेकर बड़े–बड़े दावे किए जाते हैं। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और कौशल विकास जैसे मुद्दों को लगातार सरकार की उपलब्धियों के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय की हालिया समीक्षा बैठक ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है, जो इन दावों की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। सरकार के अनुसार देश में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दो करोड़ से अधिक बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों बच्चों के अधूरे सपनों और शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का संकेत है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। यानी लगभग 38 प्रतिशत बच्चे बीच रास्ते में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह स्थिति तब है जब शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया जा चुका है और केंद्र व राज्य सरकारें लगातार शिक्षा के विस्तार के दावे करती रही हैं।

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) अब इन बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत देश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। जिन राज्यों के जिलों को चुना गया है उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली शामिल हैं। योजना यह है कि जो बच्चे आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से नियमित स्कूलों में नहीं लौट सकते, उन्हें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जाए। यह पहल जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हो रहे हैं।

भारत में स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह आज भी गरीबी है। लाखों परिवार ऐसे हैं जहां बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी घर की आय बढ़ाना माना जाता है। ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चे कम उम्र में ही मजदूरी, खेतों में काम, दुकानों और छोटे व्यवसायों में लग जाते हैं। लड़कियों की स्थिति और भी गंभीर है। घरेलू जिम्मेदारियां, कम उम्र में विवाह और सामाजिक दबाव उनकी शिक्षा बीच में ही रोक देते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि आर्थिक मजबूरियां और घरेलू जिम्मेदारियां बच्चों के स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण हैं। इसका मतलब साफ है कि यह केवल शिक्षा विभाग की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी परिणाम है।

देश में स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अब भी गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। कई स्कूलों में विज्ञान और गणित जैसे विषयों के अध्यापक तक उपलब्ध नहीं हैं। डिजिटल शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। विभिन्न शिक्षा रिपोर्टों में यह सामने आ चुका है कि कक्षा पांच और आठ तक पहुंचने वाले कई छात्र बुनियादी पढ़ाई और गणित में कमजोर हैं। जब बच्चों और अभिभावकों का स्कूलों पर भरोसा कमजोर होता है, तो धीरे–धीरे ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ने लगती है।

सरकार अब ओपन स्कूलिंग मॉडल को समाधान के रूप में सामने ला रही है। एनआईओएस निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए अवसर बन सकता है जो नियमित स्कूलों में वापस नहीं जा सकते। लेकिन केवल नामांकन बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होगा। इन बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा, रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग और नियमित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि शिक्षा का संबंध बच्चों के भविष्य और रोजगार से नहीं जोड़ा गया, तो ड्रॉपआउट की समस्या दोबारा सामने आएगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यदि इतनी बड़ी आबादी शिक्षा और कौशल से वंचित रह जाएगी, तो बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानता और बढ़ सकती है। सरकार की नई पहल उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा उसके क्रियान्वयन की होगी। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके स्कूलों में तय होता है, और जब करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हों, तो यह केवल शिक्षा नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है।

इस्लाम में महिलाएं : कर्बला का जंग और ज़हरा व ज़ैनब की बेटियां

गौतम चौधरी

दुनिया के हर समाज में महिलाओं की भूमिका पर बहस होती रही है, लेकिन मुस्लिम समाजों में यह बहस अक्सर दो वैचारिक चिंतनों के बीच उलझ जाती है। एक ओर वे बाहरी दृष्टियां हैं जो इस्लाम को केवल पर्दे, प्रतिबंध और पितृसत्ता के चश्मे से देखती हैं, दूसरी ओर वे आंतरिक सामाजिक व्याख्याएं हैं जिन्होंने सदियों से महिलाओं की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की। इन दोनों के बीच कहीं वह वास्तविक इस्लामी दृष्टि दब जाती है, जिसमें महिला केवल घर की दीवारों तक सीमित अस्तित्व नहीं, बल्कि समाज, ज्ञान, नैतिकता और प्रतिरोध की सक्रिय वाहक है।

यदि इस्लाम में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझना हो, तो केवल आधुनिक बहसों को नहीं, बल्कि उन महान स्त्रियों के जीवन को देखना होगा जिन्होंने इस्लामी इतिहास को आकार दिया। उम्मुल–मोमिनीन Khadija bint Khuwaylid, सैय्यिदत–उल–क़ाइनात Fatimah al-Zahra और कर्बला की अमर आवाज़ Zaynab bint Ali केवल धार्मिक व्यक्तित्व नहीं हैं, वे इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि इस्लाम की बुनियादी आत्मा महिलाओं को गरिमा, स्वतंत्र व्यक्तित्व और सामाजिक सहभागिता के साथ देखती है।

इस्लामी इतिहास की पहली मुस्लिम महिला हज़रत ख़दीजा थीं। वे केवल पैगंबर मुहम्मद की पत्नी नहीं थीं, वे इस्लाम की पहली समर्थक, पहली विश्वासी और पहली संरक्षक थीं। अरब समाज की एक सफल व्यवसायी के रूप में वे बड़े व्यापारिक काफिलों का संचालन करती थीं। उनकी आर्थिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और नैतिक समर्थन ने इस्लाम के प्रारंभिक संघर्ष को स्थिरता प्रदान की। पैगंबर के जीवन का आम–उल–हुज़्न इस बात का प्रमाण है कि उनका निधन केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं, बल्कि इस्लामी आंदोलन के लिए गहरा आघात था।

यह वही परंपरा थी जिसने आगे चलकर ज्ञान और सभ्यता के स्वर्ण युग को जन्म दिया। दूसरी इस्लामी सदी में मोरक्को के फ़ेज़ शहर में फातिमा अल–फिहरी द्वारा स्थापित अल–क़राविय्यीन विश्वविद्यालय इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य है कि मुस्लिम महिलाएं केवल घरेलू भूमिका तक सीमित नहीं थीं। उस दौर में मदीना, बग़दाद, काहिरा, कूफ़ा, दिल्ली और इस्तांबुल जैसे शहर दुनिया के ज्ञान–केंद्र बने और इस निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी पुरुषों की।

इसी परंपरा का सबसे उज्ज्वल स्वरूप हज़रत फ़ातिमा अल–ज़हरा के जीवन में दिखाई देता है। वे केवल पैगंबर की बेटी नहीं थीं, वे इस्लामी नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का जीवंत प्रतिरूप थीं। कम उम्र में ही उनकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता असाधारण थी। पैगंबर उन्हें उम्म–अबीहा कहकर संबोधित करते थे, जो उनके गहरे भावनात्मक और नैतिक संबंध को दर्शाता है। कठिनतम परिस्थितियों में उन्होंने अपने पिता और पति Ali ibn Abi Talib का साथ दिया। उहुद की लड़ाई में घायल पैगंबर और हज़रत अली की सेवा करते हुए उनका साहस केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संघर्ष और धैर्य का उदाहरण बन गया।

फिर इतिहास हमें कर्बला की ओर ले जाता है–एक ऐसा अध्याय जहाँ अत्याचार और सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध ने अमरता प्राप्त की। Battle of Karbala केवल युद्ध नहीं था, वह सत्य और अन्याय के बीच संघर्ष का प्रतीक था। इस संघर्ष में हज़रत ज़ैनब की भूमिका अद्वितीय थी। उन्होंने केवल अपने भाई Husayn ibn Ali का साथ नहीं दिया, बल्कि कर्बला के बाद उस संदेश को जीवित रखा जिसे तलवारें समाप्त नहीं कर सकीं। कूफ़ा और दमिश्क के दरबारों में दिए गए उनके भाषण आज भी अन्याय के विरुद्ध स्त्री–स्वर की सबसे शक्तिशाली मिसाल माने जाते हैं।

विडंबना यह है कि इतनी महान परंपरा के बावजूद मुस्लिम समाजों के भीतर महिलाओं की भूमिका को सीमित करने वाली व्याख्याएं विकसित हुईं। पवित्र कुरान और हदीस के चयनात्मक उपयोग ने कई बार पितृसत्तात्मक सोच को धार्मिक वैधता देने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा।

यही कारण है कि जब भारत की मुस्लिम महिलाएं चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करती हैं, या तुर्की और ईरान की महिला पायलट वैश्विक पहचान बनाती हैं, तो दुनिया इसे अपवाद मानकर आश्चर्य व्यक्त करती है। जबकि वास्तविकता यह है कि यह इस्लाम की मूल आत्मा के अधिक निकट है, न कि उससे दूर।

दरअसल, किसी भी समाज की प्रगति उसके दोनों हिस्सों की साझेदारी पर निर्भर करती है। यदि आधी आबादी को हाशिए पर रखा जाए, तो विकास अधूरा रह जाता है। महिलाएं केवल परिवार की संरक्षक नहीं होतीं, वे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की भी केंद्रीय शक्ति होती हैं। एक शिक्षित और सशक्त महिला आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल सकती है।

पवित्र कुरान पुरुषों और महिलाओं को एक–दूसरे का सहयोगी और संरक्षक बताता है। पैगंबर मुहम्मद ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, उन्हें विरासत के अधिकार दिए और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी को स्वीकार किया। इस्लामी इतिहास में महिलाएं सार्वजनिक रूप से प्रश्न करती थीं, निर्णयों पर चर्चा करती थीं और राजनीतिक– सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनती थीं।

इसलिए पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को चुनौती देना परंपरा का विरोध नहीं, बल्कि इस्लाम की मूल शिक्षाओं को पुनः खोजने का प्रयास है। यह प्रयास न्याय, करुणा और मानव गरिमा जैसे उन सिद्धांतों की ओर लौटने का आह्वान है जिन पर इस्लाम की नैतिक संरचना खड़ी है।

आज का समय भी किसी अर्थ में एक नया कर्बला है–जहां संघर्ष तलवारों का नहीं, बल्कि विचारों, अधिकारों और मानवीय गरिमा का है। इस संघर्ष में ज़हरा और ज़ैनब की बेटियां केवल प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन की वास्तविक वाहक हैं। वे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, समाज में नेतृत्व कर रही हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि आस्था और प्रगतिशीलता परस्पर विरोधी नहीं हैं।

हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ज़ैनब की विरासत केवल इस्लाम को मानने वालों को ही नहीं संपूर्ण मानवता को यह सिखाती है कि धैर्य और प्रतिरोध, करुणा और शक्ति, आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी–ये सब एक–दूसरे के पूरक हैं। न्याय तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें महिलाओं की समान भागीदारी न हो।

यदि मुस्लिम समाज अपने इतिहास की इन महान स्त्रियों की वास्तविक विरासत को समझ सके, तो वह एक ऐसा संतुलित सामाजिक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष नहीं, बल्कि संवाद हो, जहाँ महिलाएँ केवल सम्मान की प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और सामूहिक प्रगति की बराबर साझेदार हों।

आईटी नियम दूसरा संशोधन, 2026: भारत के डिजिटल शासन की ओर एक बड़ा कदम

श्री वैभव गग्गर
वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री काम्या वहल
अधिवक्ता

भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अब लोगों के संवाद करने और जानकारी तक पहुँचते के तरीकों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसने जवाबदेही और ऑनलाइन नुकसान को लेकर नई चुनौतियाँ भी पेश की हैं और मौजूदा नियामक व्यवस्था को तदनुसार विकसित होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किए जाने वाले प्रस्तावित बदलाव, जो 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित किए गए हैं, भारत की डिजिटल नियामक व्यवस्था में प्रक्रिया से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए एक बड़े कदम को प्रतिबिंबित करते हैं। इन मसौदा संशोधनों का उद्देश्य भाग के तहत मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण, परामर्श और दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्यस्थों के अनुपालन को मजबूत करना और भाग के तहत डिजिटल मीडिया से संबंधित कंटेंट नियमन व्यवस्था की नियामक निगरानी के प्रभाव को बढ़ाना है।

सबसे पहले, नियम 3(1)(जी) और 3(1)9एच) के तहत डेटा रखरखाव की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टीकरण है। प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट करता है कि रखरखाव आवश्यकताओं से जुड़े नियम(अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित जिम्मेदारियों के अतिरिक्त हैं। इससे वह अस्पष्टता दूर होती है जिसने कभी-कभी मध्यस्थों को अलग-अलग या न्यूनतम अनुपालन दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी है। आईटी अधिनियम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अकेले काम करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें आपराधिक प्रक्रिया कानून, वित्तीय नियम और केवल उनके उद्योग पर लागू होने वाले नियमों का भी पालन करना होता है। इस अर्थ में, यह स्पष्टीकरण अर्थपूर्ण और आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि संशोधन रखरखाव से संबंधित है, पहुँच से नहीं। ऐसे डेटा का खुलासा कानूनी प्रक्रियाओं और सांविधिक सुरक्षा के अधीन रहता है। हालांकि इस प्रकार की एक सामान्य संरक्षण धारा को इस रूप में पढ़ा जा सकता है कि यह उकसाने वाला, अतिव्यापी या यहाँ तक कि मध्यस्थों द्वारा उपयोगकर्ता डेटा के अनिश्चितकालीन रखरखाव के बारे में है, क्योंकि विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ आवश्यकता, उद्देश्य की सीमा या आनुपातिकता का संदर्भ दिए बिना ही ऐसी शर्तें लागू करते हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है, यदि भविष्य में ऐसी चिंता सामने आती है।

दूसरा, प्रस्तावित नियम 3(4) को जोड़ना है, जो मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श, स्पष्टीकरण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में बाध्यकारी बनाता है। नियमों की धारा 79से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट की जिम्मेदारी के लिए एक सशर्त सुरक्षित ठिकाना मिल गया था, बशर्ते कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें और गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग न लें। बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता-कंटेंट पर नज़र रखने से बचाने के लिए यह मध्यस्थों के लिए एक ढाल के रूप में काम करता था। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में कहा कि सुरक्षित ठिकाना परंपरागत रूप से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाता रहा है, जब तक कि वे अवैध गतिविधि के वास्तविक ज्ञान पर कार्रवाई करते हैं। इस सिद्धांत ने प्लेटफार्मों को जानकारी के प्रवाह में तटस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लेकिन तब से डिजिटल इकोसिस्टम बहुत बदल गया है। प्लेटफार्म अब केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं हैं। उनके आकार और एल्गोरिदम उपयोग करने की उनकी क्षमता ने ऑनलाइन नुकसान और लोगों को प्रभावित करने के तरीकों को बदल दिया है। इस स्थिति में, केवल न्यायालय के आदेश या औपचारिक नोटिस पर प्रतिक्रिया देने वाला मॉडल धीरे-धीरे अप्रभावी हो जाता है। नियम 3(4) शासन को अधिक लचीला बनाकर इस कमी को दूर करता है। यह कंटेंट हटाने के लिए कानूनी आदेशों की आवश्यकता को खत्म नहीं करता(इसके बजाय, यह कार्यकारी उपकरणों के माध्यम से, समग्र रूप से प्लेटफ़ॉर्मों के कार्य करने के तरीके को निर्देशित करने का प्रयास करता है।संभावित अतिशयोक्ति के बारे में वैध चिंताएं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि सुरक्षित ठिकाना शर्तों पर आधारित है, इसका हमेशा मतलब रहा है कि उचित कार्रवाई मानक बदल सकते हैं। चीजों को और अधिक वैध बनाने के लिए, यह समझदारी होगी कि इस प्रकार की सलाहें और एसओपी पारदर्शिता के उपायों के साथ जारी किये जाएँ, जैसे प्रकाशन, अच्छी तरह से सोचा गया कारण, और यदि संभव हो तो, हितधारकों से परामर्श।

तीसरे, संशोधन प्रस्तावित करता है कि नियम 8.1 की उपधारा को इस तरह बदल दिया जाए कि भाग III के नियम 14, 15 और 16 न केवल प्रकाशकों पर लागू हों बल्कि मध्यस्थों पर और उपयोगकर्ताओं द्वारा मध्यस्थों के कंप्यूटर संसाधनों पर प्रकाशित समाचार और समसामयिक घटनाक्रम कंटेंट पर भी लागू हों, जो प्रकाशक नहीं हैं। उपयोगकर्ता और प्रकाशक के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। यह डिजिटल मीडिया निरीक्षण फ्रेमवर्क के दायरे में एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जो पहले मुख्य रूप से समाचार और संकलित कंटेंट के संगठित प्रकाशकों के प्रति केंद्रित था। संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं से भी आने वाले कंटेंट के मामले में गंभीर नियम उल्लंघनों को निपटाया जा सके तथा इसके लिए ऐसे कंटेंट को नियम 14 से 16 में शामिल किया गया है। यह पारंपरिक प्रकाशकों और कार्यात्मक रूप से समान गतिविधियों में लगे डिजिटल-स्थानीय कर्मियों के बीच समानता को और बढ़ावा देता है।

इस प्रकार, संशोधन नियामक समानता को बढ़ावा देता है और वर्तमान फ्रेमवर्क में संरचनात्मक कमी को खत्म करता है। इसके साथ ही एक विचारशील फीडबैक बिंदु यह है कि भाग का उपयोग उपयोगकर्ता-जनित कंटेंट पर गंभीर और प्रणालीगत नुकसान तक ही सीमित रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती से लागू होने से बचने के लिए, जिससे वैध राजनीतिक भाषण या लोगों की खोजी पत्रकारिता पर रोक लग सकती है, मंत्रालय यह विचार कर सकता है कि नियम 14 से 16 के तहत मध्यस्थों को लक्षित हस्तक्षेप, स्पष्ट मानदंडों, जैसे पहुँच, प्रभाव और जोखिम के आधार पर किए जाएंगे तथा न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग किया जाएगा। यह मध्यस्थ द्वारा समर्थन (होस्ट) दिए गये कंटेंट के निरीक्षण को बेहतर बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ-साथ एक खुली और बहुल डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को बनाए रखने के उद्देश्य के अनुरूप होगा।

अंत में, नियम 14 में प्रस्तावित बदलाव, जिसमें शिकायतों को बदलकर मामले किया गया है, एक प्रतिक्रियाशील से अधिक सक्रिय नियामक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) अब केवल व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार द्वारा संदर्भ दिए जाने पर व्यापक, प्रणालीगत मुद्दों पर भी विचार कर सकती है। एक ऐसे परिवेश में जहाँ व्यवस्थित तौर पर गलत सूचना फैलाने वाले अभियान जैसे नुकसान अक्सर व्यक्तिगत शिकायतों से आगे चली जाती हैं, यह लचीलापन समयानुकूल और आवश्यक दोनों है। साथ ही, आईडीसीके अधिकार क्षेत्र के विस्तार से प्रक्रियात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। विचार किए गए मामलों की प्रकृति का समय-समय पर खुलासा, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन, संस्थागत विश्वसनीयता को मजबूत करेगा और मनमानी हस्तक्षेप की धारणा में कमी लायेगा।

संपूर्ण रूप से देखें तो, मसौदा संशोधन भारत के मध्यस्थता दायित्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने का एक व्यावहारिक प्रयास पेश करते हैं। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्थिर कानूनी सिद्धांत पूर्ण रूप से गतिशील तकनीकी वास्तविकताओं का समाधान नहीं कर सकते। हालांकि, चुनौती कार्यान्वयन में निहित है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विस्तारित नियामक शक्तियों का उपयोग पारदर्शी, अनुपातिक और इंटरनेट के खुले स्वरूप को बनाए रखने वाले तरीके से किया जाए। यदि सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए, तो ये सुधार एक व्यावहारिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं और नवाचार या स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कमजोर किए बिना उत्तरदायित्व को मजबूत कर सकते हैं।

भारत के बच्चों को भोजन के अलावा भी और चीजों की आवश्यकता है

– डॉ. सरथ गोपालन

कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में पांच साल की एक बच्ची लाई गई। वह अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में विकास के कई चरणों में पीछे लग रही थी। उसकी बोलने की गति धीमी थी और वह अपने हमउम्र बच्चों जितनी सक्रिय या जुड़ी हुई नहीं दिख रही थी। उसके विकास के आकलन में वह तीन साल की बच्ची के स्तर पर पाई गई। उसकी मां बहुत चिंतित थीं। बच्ची बीमार नहीं थी। कोई ऐसी बीमारी या निदान नहीं था जो इसकी वजह समझा सके। लेकिन जब हमने कोविड-19 के पिछले दो वर्षों के बारे में बात की, तो तस्वीर साफ होने लगी। लंबे लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद रहे, वह ज्यादातर समय घर पर रही, खेल की जगह स्क्रीन ने ले ली और भोजन पहले की तुलना में अधिक साधारण और सीमित हो गया। उन शांत वर्षों में उसके मस्तिष्क को वह सब नहीं मिल पाया जिसकी उसे बढ़ने के लिए जरूरत थी। वह कोई अपवाद नहीं थी। अलग-अलग क्लिनिकों में बाल रोग विशेषज्ञ और विकास विशेषज्ञ एक ही तरह की स्थिति देख रहे थे-ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, लेकिन विकास में पीछे रह गए थे। यह वायरस की वजह से नहीं था, बल्कि उसके बाद पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मस्तिष्क का 90% विकास पांच वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है, जिससे प्रारंभिक वर्ष बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक भविष्य को आकार देने का सबसे बड़ा अवसर बन जाते हैं। इस दौरान बनने वाले तंत्रिका संबंध सीखने, भाषा, स्मृति और जीवन भर के लिए लचीलेपन को मजबूत करते हैं।

इस अवधि में सही पोषण प्राप्त करना सबसे शक्तिशाली निवेशों में से एक है जो हम कर सकते हैं। आयरन, जिंक और सेलेनियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें अक्सर तंत्रिका पोषक तत्व कहा जाता है, स्वस्थ मस्तिष्क विकास और कार्य के लिए आवश्यक हैं। फिर भी आंकड़े एक चिंताजनक कहानी बयां करते हैं। अकेले आयरन की कमी भारत में पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 50: बच्चों को प्रभावित करती है (एनएफएचएस-5)। पांच वर्ष से कम आयु के 67.1: बच्चों में एनीमिया दर्ज किया गया, जो पिछले सर्वेक्षण से अधिक है। 12-59 महीने की आयु के बच्चों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि विश्लेषण सहित हाल के साक्ष्यों से पता चला है कि 60: से अधिक बच्चों में एनीमिया के साथ या उसके बिना सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी थी। यह अकेले हीमोग्लोबिन की संख्या से कहीं अधिक व्यापक पोषण संबंधी अंतर की ओर इशारा करता है।

डोकोसाहेक्सानोइक एसिड (डीएचए), एक ओमेगा-3 फैटी एसिड, मस्तिष्क की संरचना, स्मृति निर्माण और दृश्य विकास में सहायक होता है। कोलीन, एक अन्य आवश्यक पोषक तत्व, अब मस्तिष्क के विकास के लिए अनिवार्य माना जाता है। जब माताएं गर्भावस्था के दौरान कोलीन का सेवन करती हैं, तो यह स्वस्थ जीन गतिविधि और कोशिका संरचना, तथा मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्रों - जिनमें स्मृति और चिंतन के लिए जिम्मेदार क्षेत्र शामिल हैं - के विकास में सहायक होता है। ये पोषक तत्व बच्चे के आहार में वैकल्पिक नहीं हैं, बल्कि उनकी क्षमता के लिए मूलभूत हैं।

बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पोषण संबंधी हस्तक्षेप जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। मस्तिष्क का विकास भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाता है, और मां की पोषण स्थिति सीधे तौर पर उस तंत्रिका आधार को आकार देती है जिससे बच्चा जन्म लेता है। डीएचए गर्भ में तंत्रिका संपर्क को सहारा देता है(गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड का सेवन कम जन्म वजन और विकास में देरी के जोखिम को कम करता है। फिर भी, भारत में केवल 44: गर्भवती महिलाओं ने अनुशंसित 180 या उससे अधिक दिनों तक आयरन-फोलिक एसिड सप्लीमेंट का सेवन किया (एनएफएचएस-5), जो एक बहुत बड़ा और लक्षित करने योग्य अवसर प्रस्तुत करता है।

यही कारण है कि किशोरियों में निवेश करना अगली पीढ़ी में निवेश करना है। एक स्वस्थ लड़की स्वस्थ मां बनती है, और एक स्वस्थ मां अपने बच्चे को सर्वोत्तम संभव शुरुआत देती है। भारत में 59: किशोरियों में एनीमिया की समस्या है, इसलिए स्कूलों, सामुदायिक कार्यक्रमों और लक्षित पूरक आहार के माध्यम से इस समूह को प्राथमिकता देना संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा में प्रभावी उपायों में से एक है।

हालांकि पोषण महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क के विकास के लिए दो समानांतर इनपुट आवश्यक हैं: पर्याप्त पोषण और भावनात्मक-सामाजिक उत्तेजना। महामारी ने इसे सशक्त रूप से प्रदर्शित किया। यूनिसेफ का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर सात में से एक बच्चे ने कोविड-19 के दौरान विकास या सीखने में महत्वपूर्ण हानि का अनुभव किया, जो मुख्य रूप से बीमारी के कारण नहीं, बल्कि साथियों के साथ मेलजोल, बातचीत और खेल की कमी के कारण हुआ। स्क्रीन ने मानवीय संपर्क का स्थान ले लिया, और भाषा, शारीरिक और सामाजिक विकास प्रभावित हुआ।

संवेदनशील देखभाल, मौखिक संवाद, स्पर्श संबंधी जुड़ाव और एक उत्तेजक वातावरण तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं और स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए आवश्यक हैं। प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रम जो पोषण संबंधी सहायता और विकासात्मक उत्तेजना दोनों को एकीकृत करते हैं, ऐसे परिणाम देते हैं जो इनमें से कोई भी अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। भारत की कार्यक्रम संरचना इस पर अमल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। पोषण अभियान और पीएम पोषण जैसे कार्यक्रम पहले से ही देश भर में लाखों माताओं और छोटे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। पोषण पखवाड़ा जैसी पहल पोषण के इर्द-गिर्द निरंतर, सामुदायिक स्तर पर लामबंदी की शक्ति को दर्शाती है। वितरण संरचना, जिसमें आंगनवाड़ी नेटवर्क, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और सामुदायिक स्तर पर पहुँच शामिल है, स्थापित है। अब अवसर यह है कि इस ढांचे से मिलने वाले लाभों को और अधिक बढ़ाया जाए।

उचित प्रशिक्षण और सहयोग से, वे शारीरिक विकास पर नज़र रखने से लेकर माता-पिता को प्रारंभिक प्रोत्साहन, संवेदनशील देखभाल और बाल विकास प्रथाओं पर मार्गदर्शन देने तक अपनी भूमिका का विस्तार कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क को एकीकृत करना, जो पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल को एक सुसंगत इकाई में जोड़ता है, इस विकास के लिए एक स्पष्ट और वैज्ञानिक रोडमैप प्रदान करता है। यह लक्ष्य को केवल बच्चों को भोजन कराने से आगे बढ़ाकर उन्हें वास्तव में फलने-फूलने में मदद करने की ओर ले जाता है।

शुरुआती बचपन में पोषण किसी भी देश के लिए सबसे अधिक लाभ देने वाला निवेश है। जब बच्चों को उनके विकसित होते मस्तिष्क के लिए जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व, सही देखभाल का वातावरण और सही मानसिक व सामाजिक प्रोत्साहन मिलता है तो उसका लाभ पूरी जिंदगी मिलता है। ऐसे बच्चे बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, आगे चलकर अधिक सक्षम और उत्पादक नागरिक बनते हैं, और समाज भी अधिक मजबूत और सक्षम बनता है। भारत के पास विकसित भारत का सपना है। उसके पास व्यवस्थाएं हैं। उसके पास विज्ञान है। अब जरूरत इस बात की है कि शुरुआती बचपन के पोषण को केवल कल्याणकारी योजना का हिस्सा न माना जाए, बल्कि उसे उस बुनियाद के रूप में देखा जाए, जिस पर बाकी सब कुछ टिका है।

हिमाचल को 'स्किल हब' बनाने की तैयारी, तकनीकी शिक्षा में बड़े बदलावों का दावा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार हिमाचल को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।

यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को उद्यमशीलता के लिए तैयार करने हेतु उद्योग विभाग के 120 विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट स्किल्स पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि युवा भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकें।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा को कृषि और बागवानी से भी जोड़ा जाएगा। बागवानी, प्राकृतिक खेती और डेयरी तकनीक जैसे विषयों को तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की भूमिका पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने मंडी में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने में आईटीआई मंडी के प्रशिक्षुओं के कार्य की सराहना की। नगर निगम मंडी और आईटीआई मंडी के बीच हुए समझौते के तहत चरणबद्ध तरीके से 496 स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई गई, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान का दावा किया गया।

राज्य सरकार ने प्रदेश में स्किल अकादमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना का भी उल्लेख किया। इसके अलावा तकनीकी संस्थानों की ग्रेडिंग की जाएगी और तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न तकनीकी महाविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थान आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए तकनीकी महाविद्यालयों की मदद से क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सचिव तकनीकी शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, निदेशक तकनीकी शिक्षा रोहित राठौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्राकृतिक खेती से बदल रही गांवों की तस्वीर 63 हजार किसानों से खरीदी जाएगी उपज

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना किसानों और बागवानों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव ला रही है।

जलवायु परिवर्तन, खेती की बढ़ती लागत, मिट्टी की घटती उर्वरता और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान के बीच प्राकृतिक खेती किसानों के लिए टिकाऊ विकल्प बनकर उभरी है। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किए जाने से किसानों का भरोसा और मजबूत हुआ है। हिमाचल प्रा तिक खेती की उपज पर एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष एक लाख नए किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब तक 70 हजार से अधिक किसान इससे जुड़ चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों तक योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले वर्षों में एमएसपी योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि गांवों की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। वर्तमान में प्रदेश के 2.23 लाख से अधिक किसान और बागवान पूर्ण या आंशिक रूप से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। यह अभियान राज्य की 99.3 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। गेहूं 80 रुपये प्रति किलो, मक्की 50 रुपये, कच्ची हल्दी 150 रुपये, पांगी की जौ 80 रुपये और अदरक 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी जा रही है। अब तक 7,382 किसानों से 11,329 क्विंटल गेहूं, मक्की, हल्दी और जौ की खरीद की जा चुकी है, जिसके बदले 6.40 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। कृषि विभाग ने इस वर्ष 63 हजार किसानों से प्राकृतिक खेती की उपज खरीदने का लक्ष्य तय किया है।

प्रदेश में प्राकृतिक गेहूं खरीद में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष जहां 838 किसानों से गेहूं खरीदा गया था, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 2,022 तक पहुंच गई है।

हिमाचल में बनेगी समग्र पोषण नीति

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत समग्र पोषण नीति तैयार करने को लेकर 11 मई 2026 को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी.कत्याल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि विभाग के अधिकारियों और पोषण विशेषज्ञों ने भाग लिया।

बैठक में राज्य के लिए एक ऐसी पोषण नीति तैयार करने पर जोर दिया गया, जो व्यावहारिक और प्रभावी हो। अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के साथ हुई चर्चा में भी यह सुझाव दिया गया था कि नीति को जमीनी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए ताकि पोषण संबंधी चुनौतियों का प्रभावी समाधान हो सके।

बैठक में मातृ एवं शिशु पोषण, किशोर स्वास्थ्य, मिड-डे मील, आईसीडीएस, खाद्य सुरक्षा, पोषण जागरूकता और आहार विविधीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि पोषण केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि और स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी विभागों के समन्वय से ही प्रभावी नीति तैयार की जा सकती है।

सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने नीति निर्माण में तकनीकी और अनुसंधान सहयोग देने का भरोसा भी दिया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक मजबूत, टिकाऊ और परिणाम आधारित पोषण नीति तैयार की जाएगी, जिससे राज्य में पोषण सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।

कांग्रेस का पलटवारः नेता प्रतिपक्ष बतायें, कौन सी गारंटी पूरी नहीं हुई

शिमला/शैल। डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी सभी प्रमुख चुनावी गारंटियों को पूरा किया है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है, उसे जमीन पर लागू भी करती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर अपनी पहली गारंटी पूरी की। साथ ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। मंत्रियों के अनुसार पहले चरण में 35,687 महिलाओं को 29.12 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में एक लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू करने का दावा भी किया। मंत्रियों ने कहा कि प्राकृतिक खेती और किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं, मक्की और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। हल्दी और अदरक के लिए भी समर्थन मूल्य तय किया गया है। इसके अलावा गाय और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीद शुरू की गई है। शिक्षा क्षेत्र में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का दावा किया गया। साथ ही 156 सीबीएसई स्कूल शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई।

रोजगार के मुद्दे पर मंत्रियों ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 23,200 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है, जबकि निजी क्षेत्र में 51,400 युवाओं को रोजगार मिला है। बागवानी क्षेत्र में यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली और नई बागवानी नीति को भी सरकार की उपलब्धि बताया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने रोबोटिक सर्जरी, पेट स्कैन, थ्री टेस्ला एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं शुरू करने का दावा किया। इसके अलावा 'अपना परिवार-सुखी परिवार' योजना के तहत एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया गया।

नौणी विश्वविद्यालय के एग्रोफॉरेस्ट्री केंद्र को राष्ट्रीय सम्मान

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के सिल्विकल्चर एवं एग्रोफॉरेस्ट्री विभाग के अंतर्गत संचालित ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री (एआईसीआरपी-एग्रोफॉरेस्ट्री) को किसानों और हितधारकों के बीच एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित 'डॉ. एस. चिन्नामणि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एग्रोफॉरेस्ट्री एक्सटेंशन-2025' से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री तथा सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एग्रोफॉरेस्ट्री दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। पुरस्कार डीडीजी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन डॉ. ए.के. नायक ने प्रदान किया।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की। देशभर में संचालित 37 एआईसीआरपी-एग्रोफॉरेस्ट्री केंद्रों में से नौणी विश्वविद्यालय के इस केंद्र को प्रभावशाली जन-जागरूकता कार्यक्रमों और किसान-केंद्रित विस्तार गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली है।

पिछले पांच वर्षों में सिल्विकल्चर एवं एग्रोफॉरेस्ट्री विभाग ने 40 विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए और 3,379 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थी भी शामिल रहे। कार्यक्रमों में जलवायु-अनुकूल एग्रोफॉरेस्ट्री पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया।

इस परियोजना का नेतृत्व विभागाध्यक्ष डॉ. रोहित बिष्ट कर रहे हैं, जबकि उनके साथ टीम सदस्य डॉ. प्रेम प्रकाश कार्यरत हैं। यह पुरस्कार राज्य में सतत एग्रोफॉरेस्ट्री विकास और किसान सशक्तिकरण की दिशा में टीम के सामूहिक योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

निकाय चुनावों में मतदान से वंचित नहीं होंगे बार काउंसिल चुनाव में भाग लेने वाले वकील

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुके अधिवक्ताओं को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही उनकी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगी हो।

आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को कहा गया है कि यदि कोई अधिवक्ता बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुका है और उसकी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगी हुई है, तो उसे केवल इसी आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा।

निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित मतदाता यदि मतदान केंद्र पर अपना अधिवक्ता परिचय पत्र अथवा बार काउंसिल परिचय पत्र प्रस्तुत करता है और उसकी पहचान सत्यापित हो जाती है, तो उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में मतदान की अनुमति देने से पूर्व मतदाता के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर पुन: अमिट स्याही लगाई जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन, उचित पहचान सुनिश्चित करने तथा मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लागू की गई है।

भाजपा ने सोलन के लिए अपना संकल्प पत्र किया जारी

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए कांग्रेस

सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश, नगर निगम और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद सोलन की जनता आज भी पानी, सफाई, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है।

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव घोषणापत्र में कांग्रेस ने सस्ती और नियमित पेयजल आपूर्ति, मुफ्त कचरा उठान और बेहतर शहरी सुविधाओं के बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में हफ्तों तक पानी नहीं मिल रहा है और जब सप्लाई होती है तो वह भी पर्याप्त या स्वच्छ नहीं होती।

उन्होंने कहा कि कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था भी पूरी तरह असफल रही है और शहर में सफाई की स्थिति खराब हो गई है। इसके साथ ही पार्किंग, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े वादे भी अधूरे पड़े हैं।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अब एक बार फिर नया घोषणापत्र लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन उसे पहले अपने पुराने वादों का हिसाब देना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र केवल घोषणा नहीं बल्कि सोलन के समग्र विकास का रोडमैप है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शहर को स्वच्छ, सुरक्षित, स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए ठोस योजनाओं पर काम करेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्येक वार्ड में कचरा प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था, बेहतर पेयजल आपूर्ति, पार्किंग समाधान और नशा मुक्ति अभियान जैसे कार्यों को प्राथमिकता देगी।

डॉ. बिंदल ने विश्वास जताया कि सोलन नगर निगम चुनाव में जनता विकास और सुशासन के लिए भाजपा को समर्थन देगी।

भाजपा ने नाहन में किए विकास कार्यों को गिनाया

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन नगर परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नाहन में भाजपा कार्यकाल में जहां विकास हुआ, वहीं कांग्रेस सरकार ने केवल अव्यवस्था और ठहराव दिया है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा सरकार के समय गिरी गंगा योजना के तहत नाहन में घर-घर पानी पहुंचाने का काम किया गया, जिससे वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान हुआ। इसके साथ ही शहर में कई पार्क, सामुदायिक भवन और आधुनिक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कर शहरी ढांचे को मजबूत किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विकास कार्यों को रोक दिया है और जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिससे आम जनता और मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 'व्यवस्था परिवर्तन' के नाम पर जनता को गुमराह किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सीमेंट और अन्य सेवाओं के दाम बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है।

भाजपा नेताओं ने नाहन मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि करोड़ों रुपये की परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकायों और विकास योजनाओं को कमजोर किया है, जबकि भाजपा सरकार ने नाहन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का काम किया था।

भाजपा नेताओं ने दावा किया कि जनता अब कांग्रेस सरकार से निराश है और नगर परिषद चुनावों में विकास और सुशासन के लिए भाजपा को समर्थन देगी।

निकाय चुनावों को भाजपा ने बनाया आर्थिक बदहाली पर जनमत संग्रह

शिमला/शैल। नगर निगम और पंचायत चुनावों के बीच भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज, घाटे और आर्थिक संकट में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ता कर्ज, ठप विकास कार्य और सरकारी संस्थानों की खराब हालत कांग्रेस सरकार की नीतियों का परिणाम है।

हर्ष महाजन ने दावा किया कि हिमाचल पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है और कई सरकारी बोर्ड व निगम भारी घाटे में पहुंच चुके हैं। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 12 बोर्ड और निगम हजारों करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं। भाजपा नेता के अनुसार बिजली बोर्ड, एचआरटीसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है, जबकि प्रदेश की आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में खर्च हो रहा है। भाजपा ने इसे 'व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था पतन' करार दिया।

हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटियां केवल चुनावी वादे बनकर रह गई हैं और युवाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों तथा महिलाओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने निकाय और पंचायत चुनावों को हिमाचल के भविष्य से जुड़ा चुनाव बताते हुए भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की।

हिमाचल का 'एंटी चिट्टा मॉडल' राष्ट्रीय चर्चा में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार का 'एंटी चिट्टा मॉडल' अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस मॉडल का विस्तृत विवरण हिमाचल सरकार से मांगा है, ताकि इसका अध्ययन कर अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। राज्य सरकार का दावा है कि यह मॉडल न केवल चिट्टा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि नशे के शिकार युवाओं के पुनर्वास पर भी समान रूप से काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर प्रदेश में पंचायत स्तर तक चिट्टा तस्करी और नशे के प्रभाव की मैपिंग की गई। हिमाचल देश का पहला राज्य बना, जहां पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। सर्वे के अनुसार 234 पंचायतों को रेड श्रेणी में रखा गया, जहां चिट्टे का प्रभाव सबसे अधिक पाया गया। इन क्षेत्रों में पुलिस निगरानी और विशेष अभियान तेज किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने का दावा सरकार कर रही है।

राज्य सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत 174 आरोपियों को हिरासत में लिया, जो देश में इस प्रकार की सबसे बड़ी कारवाई बताई जा रही है। इसके अलावा नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। सरकार के अनुसार 700 से अधिक मामलों की जांच की गई, जिनमें करीब 300 मामलों में आर्थिक जांच और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया उपयुक्त पायी गई।

सरकार ने पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के मानकीकरण की योजना अंतिम चरण में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में आधुनिक पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा शिमला के मशोबरा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भी नए पुनर्वास केंद्र शुरू किए जाने की तैयारी है।

स्कूलों और कॉलेजों में 'ड्रग फ्री कैंपस अभियान', एंटी ड्रग शपथ और एंटी ड्रग सेल भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अब अभिभावक भी सामाजिक दबाव से बाहर निकलकर टोल फ्री नंबर 112 पर अपने बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए सहायता मांग रहे हैं। प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों के बाद इस अभियान का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि यह चरण चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

कांग्रेस सरकार की नीतियों से जनता में असंतोष: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत को पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास का प्रमाण बताया है।

उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों से असंतोष जताया है और भाजपा के विकास एजेंडे को समर्थन दिया है। ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती के कारण यह जीत संभव हुई है।

अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार 'दिशाहीन, असंवेदनशील और निकम्मी' साबित हुई है। उनके अनुसार, राज्य में जनता सरकार की नीतियों और वादों से नाराज है और यही कारण है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है।

कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में भाजपा को और मजबूत जनादेश मिलेगा।

ठाकुर ने दावा किया कि जनता का रुझान स्पष्ट रूप से भाजपा की ओर है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को व्यापक समर्थन मिलेगा।

मंडी नगर निगम चुनावों के लिए सरकार के खिलाफ भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने मंडी नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि मंडी में पिछले ढाई वर्षों में विकास कार्य ठप हो गए हैं और जनता को उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेयजल संकट, सड़क खराबी और आपदा प्रबंधन की स्थिति लगातार बिगड़ी है। वर्ष 2025 की आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की धीमी गति पर भी सवाल उठाए गए हैं।

राकेश जमवाल ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाएं, जिनमें शिवधाम परियोजना और प्रस्तावित एयरपोर्ट शामिल हैं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ठप पड़ गई हैं। इससे पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय को लेकर भी भाजपा ने आरोप लगाया कि इसे कमजोर करने और विकास कार्यों को रोकने का प्रयास किया गया है। वहीं सड़क और संपर्क व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कई पुल और सड़कें लंबे समय तक क्षतिग्रस्त बनी रहीं।

भाजपा ने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। साथ ही आपदा प्रबंधन के दौरान 319 से अधिक सड़कों के बंद होने से जनजीवन प्रभावित होने की बात कही गई।

भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जनता को केवल झूठी गारंटियां और अव्यवस्था दी है, जबकि वास्तविक विकास कार्य ठप पड़े हैं।

सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में भाजपा की जीत का दावा: डॉ. बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जनता से भाजपा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विकास को रोक दिया है और झूठी गारंटियों के सहारे जनता को गुमराह किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार यह कहती रही कि 'पैसा नहीं है', जबकि वास्तव में विकास की इच्छाशक्ति ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी।

उन्होंने दावा किया कि यदि इन चार नगर निगमों में भाजपा की जीत होती है तो सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी।

पार्टी विरोधी गतिविधियों पर भाजपा की बड़ी कारवाई, दो नेता 6 साल के लिए निलंबित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने दो नेताओं को छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, नालागढ़-पंजेहरा मंडल से जिला परिषद चुनाव के दौरान किसान मोर्चा जिला महामंत्री ज्ञान ठाकुर पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। वहीं किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता अमित राणा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत मिली थी।

मामले को भाजपा की अनुशासन समिति के सामने रखा गया, जहां शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को कारवाई की सिफारिश की।

समिति की अनुशंसा के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से कारवाई करते हुए ज्ञान ठाकुर और अमित राणा को उनके पदों से मुक्त कर पार्टी से छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

ऊना के तालाब प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े के आरोप, विजिलेंस जांच की मांग

शिमला/शैल। ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में करीब 2.05 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए पुबोवाल तालाब परियोजना (Pubowal Pond Project) पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। सरकार ने इस परियोजना को 'नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम' और 'स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी' आधारित मॉडल के रूप में पेश किया था, लेकिन अब सामने आये दस्तावेज और विजिलेंस को दी गई शिकायत इस पूरे प्रोजेक्ट को शक के घेरे में ला रहे हैं। ऊना निवासी रोहित कटवाल ने राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को लगभग 700 पन्नों के दस्तावेजों के साथ शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि परियोजना में फर्जी डीपीआर, टेंडर में मिलीभगत, हितों के टकराव और करोड़ों रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आता है। शिकायत के अनुसार जिस व्यक्ति ने परियोजना की डीपीआर तैयार की, उसी से जुड़ी कंपनी को बाद में काम दे दिया गया और करोड़ों रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने डीपीआर तैयार की और बाद में यह काम Rebound Enviro Tech Pvt.Ltd. को मिला, जिसमें वह व्यक्ति निदेशक बताये गये हैं। यानी जिसने परियोजना की जरूरत, लागत और तकनीकी ढांचा तय किया, वही सरकारी भुगतान लेने वाली एजेंसी से जुड़ा निकला। सरकारी परियोजनाओं में डीपीआर ही वह आधार होती है, जिसके आधार पर तकनीकी मंजूरी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। ऐसे में यदि डीपीआर तैयार करने वाला ही काम लेने वाला निकले, तो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा डीपीआर की सामग्री को लेकर सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डीपीआर में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की कुछ जगहों का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, केरल के दो स्थानों के नाम भी दस्तावेज में पाए गए। सवाल यह उठ रहा है कि यदि परियोजना ऊना के हरोली क्षेत्र की थी, तो डीपीआर में अमेरिका और केरल की जगहों का क्या काम था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी डीपीआर इंटरनेट या किसी अन्य परियोजना से कॉपी-पेस्ट कर तैयार की गई। तकनीकी शब्दावली भी कथित तौर पर शहरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी हुई बताई गई है, जबकि यह परियोजना एक ग्रामीण तालाब के लिए थी। यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो इसका अर्थ होगा कि जिस दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपये की मंजूरी मिली, वह वास्तविक साइट अध्ययन पर आधारित ही नहीं था।

शिकायतकर्ता ने 13 मई 2026 को मौके का निरीक्षण कर तस्वीरें भी संलग्न की हैं। शिकायत में कहा गया है कि जिस 'नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम' के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, उसकी मुख्य संरचनाएं मौके पर दिखाई नहीं देतीं। डीपीआर में 'कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड', 'फ्लोटिंग वेटलैंड', 'कैस्केडिंग एरेशन सिस्टम' और 'रूटजोन मीडिया' जैसी हाईटेक संरचनाओं का उल्लेख है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वह एक सामान्य तरीके से सुंदर बनाया गया तालाब है, जिसमें रेलिंग, पक्की पगडंडी, लाइटें, एक छोटा फाउंटेन और एक झोपड़ीनुमा ढांचा नजर आता है। यानी जनता ने जिस 'स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी' के लिए पैसा दिया, वह तकनीक आखिर जमीन पर कहां है, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। शिकायत में कई खर्चों को भी संदिग्ध बताया गया है। उदाहरण के तौर पर केवल 3X3 मीटर के 'मेडिटेशन हट' पर 7.71 लाख रुपये खर्च दिखाए गए हैं। एलईडी स्क्रीन और साउंड सिस्टम के लिए 7.5 लाख रुपये का भुगतान दर्ज है, लेकिन उसके मॉडल और तकनीकी विवरण तक नहीं दिए गए। 'फ्लोटिंग वेटलैंड' पर 12 लाख रुपये से अधिक और सामान्य निर्माण सामग्री पर बाजार दर से कई गुना अधिक खर्च दिखाया गया है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि रिकॉर्ड में करीब 60 लाख रुपये का सीमेंट कंक्रीट दिखाया गया, जबकि मौके पर साधारण पत्थर की चिनाई दिखाई देती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि केवल इसी मद में 30 से 35 लाख रुपये तक का अंतर हो सकता है।

टेंडर प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। शिकायत के अनुसार परियोजना का टेंडर जनवरी 2024 में जारी हो गया था, जबकि पूरी योजना की प्रशासनिक मंजूरी सितंबर 2024 में मिली। यानी मंजूरी बाद में और टेंडर पहले। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये से अधिक के काम के लिए केवल 11 दिन का टेंडर समय दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतनी कम अवधि में वास्तविक प्रतिस्पर्धा संभव नहीं थी। तीन कंपनियों ने बोली लगाई, लेकिन शिकायत में दावा किया गया है कि इनमें आपसी संबंध थे। एक कंपनी के दस्तावेज में दूसरी कंपनी के निदेशक का नाम 'क्लाइंट' के तौर पर दर्ज मिला, जिससे टेंडर में मिलीभगत यानी 'बिड कार्टेलाइजेशन' का संदेह पैदा होता है। ट्रेजरी रिकॉर्ड के अनुसार इस परियोजना में अब तक लगभग 1.63 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद मौके पर वह हाईटेक सिस्टम नजर नहीं आता, जिसके नाम पर पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसी तरह की डीपीआर और ठेकेदार पैटर्न गोंदपुर जयचंद और दुलैहड़ा तालाब परियोजनाओं में भी दिखाई देते हैं, जिससे यह मामला एक अकेली परियोजना से आगे बढ़कर पूरे मॉडल की जांच की मांग करता है। अब देखना यह होगा कि विजिलेंस ब्यूरो इस शिकायत पर क्या कारवाई करता है, क्योंकि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल एक तालाब परियोजना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी परियोजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन जाएगा।

केन्द्र की लापरवाही से 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़: राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केन्द्र

सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार की लापरवाही और कमजोर व्यवस्था के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। मंत्री ने कहा कि 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने वाले इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमीत शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र को देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थी।

मंत्री ने दावा किया कि हिमाचल के करीब 12 हजार छात्रों ने भी नीट परीक्षा दी थी और पेपर लीक ने उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह चौथी बड़ी परीक्षा है, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। उनका कहना था कि केन्द्र सरकार ने पहले के मामलों में भी सख्त कारवाई नहीं की, जिससे ऐसे नेटवर्क लगातार मजबूत होते गए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने इस मुद्दे को सीधे केन्द्र सरकार की विश्वसनीयता से जोड़ा। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों पर कारवाई न होना केन्द्र सरकार की उदासीनता दिखाता है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई।

हालांकि इस राजनीतिक हमले के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल बयानबाजी से युवाओं का भरोसा लौट पाएगा। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने भर्ती और परीक्षा प्रणाली की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम की खामियां परिणाम तय कर रही हैं।

मंत्री ने हिमाचल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय पुलिस भर्ती समेत कई पेपर लीक हुए, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर पारदर्शिता बढ़ाई और अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष लगातार प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और खाली पदों को लेकर सरकार को घेरता रहा है।

नीट विवाद ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि देश की परीक्षा प्रणाली भरोसे के संकट से गुजर रही है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन करोड़ों युवाओं को अब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि उनकी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा आखिर कौन करेगा।